तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30-5-17	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। मिसल वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03.06.17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
03.6.17	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ताक्षर आ. मिनल किया गया। पालना हेतु पटवारी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

खींवसर

वकील अपीलार्थी मुखाजी 6/3/17

अपीलांट

बाबुलाल पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी चरड़ा

तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

रेस्पोडेंट्स

1. अमराराम पुत्र भंवरूराम जाति मेघवाल निवासी बासनी
2. चेलाराम पुत्र हिम्मताराम जाति मेघवाल निवसी जोशियाद
   तहसील नागौर व जिला नागौर।
3. ग्राम पंचायत ढींगसरा जरिए सचिव ग्राम पंचायत ढींगसरा
   तहसील खींवसर जिला नागौर।

अपील अधीन धारा 75 एलआर. एक्ट.

अपील विरूध आदेश म्युटेशन सं. 827 ग्राम ढींगसरा के

सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 06.02.2017

श्रीमानजी,

अपीलांट की ओर से निम्न अपील प्रस्तुत है :–

यह है कि प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की स्वअर्जित आय से कय सुदा सम्पति के खेत ख.न. 377/99 रकबा 19.11 की सम्पूर्ण भुमि का जरिए बेचाननामा से किया गया था। परन्तु उक्त भुमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा राजनितीक व दुर्भावनापूर्ण म्युटेशन खारिज दिनांक 06.02.2017 को कर दिया गया था जिससे नाराज होकर यह अपील पेश की जा रही है जिसके निम्न आधार है :–

बाबूलाल

स्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियमों में यह स्पष्ट लिखा है की यदि खातेदार ने स्ट्रीशुदा दस्तावेज से इस बात से सहमति प्रक्ट कर दी है की उसके द्वारा कब्जा क्रेता को दे ा गया है। ऐसी स्थिति में नामातरंण स्वीकार योग्य है।

ग्राम पचांयत के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 06.02.2017 में लिखित कथन की उक्त भूमि पर ातिकर्ता का कब्जा है एवं अपीलांट का नहीं, आधारहीन प्रतीत होता है जबकि अपीलांट का, ोडेंट्स संख्या 1 व 2 जो कि उक्त भुमि के खातेदार है, के द्वारा जरिये पजींबद्व बैचानपत्र कब्जा ई करवाया गया। उक्त बैचान पत्र दिनांक 07.10.2016 के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा दर्ज ातरण संख्या 827 को भू–अभिलेख निरिक्षक ने भी जाचं में सही पाया।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड के आधार पर ग्राम पचांयत द्वारा ातरणं संख्या 827 को खारिज करने का निर्णय आधारहीन एवं नियम विरूद्व प्रतीत होता है। ा इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि :–

<u>आदेश</u>

अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पचांयत ढीगंसरा के बैठक कार्यवाही ास्ट्रर संन् 2017–18 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 06.02.2017 को खारिज किया जाता है एवं ातंरण संख्या 827 को स्वीकार किया जाता है।

डॉ. इन्द्रजीत यादव आईएएस
सहायक कलक्टर
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को सरे इजलासं सुनाया गया ।

डॉ. इन्द्रजीत यादव आईएएस
सहायक कलक्टर
खींवसर